



2026:AHC: 180971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 425 वर्ष 2026

एलिक्स तोमर और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कमला शंकर पाठक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, शिवम मिश्रा

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

1. आदेश दिनांक 16.07.2026 के माध्यम से, बंदी (कार्पस) और याचिकाकर्ताओं के बीच भावनात्मक बंधन विकसित करने की दृष्टि से, बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा प्रत्येक शनिवार और रविवार को याचिकाकर्ताओं को सौंपने का निर्देश दिया गया था, जबकि शेष पांच दिनों के लिए, बंदी (कार्पस) को प्रत्यर्थी संख्या 3, श्रीमती माधुरी देवी, उनकी नानी के साथ रहने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को सोमवार से शुक्रवार तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पूर्वोक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है, क्योंकि बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा कभी भी याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंपी गई। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता बंदी (कार्पस) के साथ भावनात्मक बंधन विकसित करने के अवसर से वंचित रह गए। वह आगे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता, बंदी (कार्पस) के जैविक माता-पिता होने के नाते, उनकी अभिरक्षा के हकदार हैं और उनकी देखभाल करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। यह आगे तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3, श्रीमती माधुरी देवी, बंदी (कार्पस) की नानी होने के नाते, उनके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है और, याचिकाकर्ताओं के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विधिक और माता-पिता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा उन्हें सौंपी जानी चाहिए।

3. इसके विपरीत, निजी प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि अवयस्क बंदी (कार्पस), एलिक्स तोमर, ब्लड कैंसर से पीड़ित है और उसके उपचार के लिए काफी खर्च की आवश्यकता है, जिसे वहन करने में याचिकाकर्ता आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। इसलिए, वह तर्क देते हैं कि बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ताओं को नहीं सौंपी जानी चाहिए।

4. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अवयस्क बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत भी की है।

5. सर्वोच्च न्यायालय ने **रोहित थम्माना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2022 20 एससीसी 550** के वाद में, 'बच्चे की इच्छा/चाहत' और 'बच्चे के सर्वोत्तम हित/कल्याण' के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंतर्गत बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित वादों में, न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित है। प्रासंगिक पैरा नीचे उद्धृत किया गया है:

"11. शुरुआत में हम यह बता सकते हैं कि बच्चे की अभिरक्षा के प्रश्न से जुड़े मामले में यह ध्यान में रखना होगा कि यह प्रश्न 'बच्चे की इच्छा/चाहत क्या है?' इस प्रश्न से अलग और भिन्न है कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा?'। निश्चित रूप से, बच्चे की इच्छा/चाहत बातचीत के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन फिर, यह प्रश्न कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा?' न्यायालय द्वारा सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णीत किया जाने वाला मामला है।"

6. अवयस्क बंदी (कार्पस) के हाव-भाव और आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी नानी की संगति में सहज हैं और उन्होंने लगातार अपने जैविक माता-पिता के साथ रहने की अपनी अनिच्छा व्यक्त किया है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में बंदी (कार्पस) और याचिकाकर्ताओं के बीच कोई महत्वपूर्ण भावनात्मक बंधन नहीं है। हालांकि, यह सुस्थापित है कि अभिरक्षा के प्रश्न पर विचार करते समय, यह न्यायालय केवल अवयस्क की व्यक्तिगत इच्छाओं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा निर्देशित नहीं हो सकता है, बल्कि उसे अवयस्क के सर्वोपरि कल्याण और सर्वोत्तम हितों को मार्गदर्शक विचार के रूप में रखना होगा।

7. याचिकाकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता नीलम एक निजी प्रतिष्ठान में कार्यरत है और लगभग 15,000/- रुपये प्रति माह कमाती है, जबकि उसका पति, अमित तोमर, भी निजी तौर पर कार्यरत है और लगभग 35,000/- रुपये प्रति माह कमाता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की संयुक्त मासिक आय लगभग 50,000/- रुपये है और वे आर्थिक रूप से बंदी (कार्पस) की देखभाल करने में सक्षम हैं।

8. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि निजी प्रत्यर्थियों ने अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है, लेकिन अभिलेख पर प्रस्तुत चिकित्सा दस्तावेज केवल वर्ष 2020 से संबंधित हैं। अवयस्क बंदी (कार्पस), एलिक्स तोमर की वर्तमान चिकित्सा स्थिति और वर्तमान में उसके उपचार पर किए जा रहे व्यय को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। ऐसी सामग्री के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान में उसके उपचार पर एक अत्यधिक राशि खर्च की जा रही है, जो याचिकाकर्ता, नीलम और उसके पति की वित्तीय क्षमता से परे है।

9. निजी प्रत्यर्थियों द्वारा दाखिल प्रति शपथ पत्र में भी प्रत्यर्थी संख्या 3 या उसके पति की आय का खुलासा नहीं किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि वे दोनों सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं। इसलिए, उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति के संबंध में किसी भी सामग्री के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता है कि वे याचिकाकर्ताओं की तुलना में बेहतर वित्तीय स्थिति में हैं।

10. यह सत्य है कि बंदी (कार्पस) ने अपनी नानी, श्रीमती माधुरी देवी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त किया है। हालांकि, वाद के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी प्राथमिकता को अपने आप में अभिरक्षा के प्रश्न का निर्धारक नहीं माना जा सकता है। बंदी (कार्पस) के जैविक माता-पिता जीवित हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं और उन्होंने उनकी उचित देखभाल करने की अपनी इच्छा और क्षमता व्यक्त किया है। उन्होंने न्यायालय को यह भी आश्वस्त किया है कि वे बंदी (कार्पस) को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्रदान करेंगे और एलिक्स तोमर के चिकित्सा उपचार की उचित देखभाल करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. इस न्यायालय के पास याचिकाकर्ताओं की सद्भावना या बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करने की उनकी क्षमता और इच्छा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। किसी भी स्थिति में, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता अपनी माता-पिता की जिम्मेदारियों की उपेक्षा करेंगे या अन्यथा उनका निर्वहन करने में विफल रहेंगे।

12. यह सुस्थापित है कि अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, न्यायालय को केवल किसी पक्षकार के विधिक अधिकार द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अवयस्क के सर्वोपरि कल्याण और सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। न्यायालय के सुविचारित मत में, अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैविक माता-पिता निजी प्रत्यर्थियों की तुलना में बंदी (कार्पस) की देखभाल करने की बेहतर स्थिति में हैं।

13. तदनुसार, यह न्यायालय बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ता, नीलम और उसके पति, अमित तोमर को सौंपना उचित समझता है।

14. हालांकि, बंदी (कार्पस) और निजी प्रत्यर्थियों के बीच भावनात्मक बंधन को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए, निजी प्रत्यर्थी याचिकाकर्ताओं को पूर्व सूचना के साथ, जब भी वे चाहें, याचिकाकर्ताओं के निवास पर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/मोबाइल संचार के माध्यम से बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने के भी हकदार होंगे।

15. पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

31 अगस्त, 2026

जितेन्द्र